भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

537

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–भिण्ड

R 1875-I/13

1. रामसिया पुत्र श्री काशीपुरी, निवासी ग्राम कन्हारी, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.)
2. हरीओम पुत्र श्री मथुराप्रसाद गुसाई, निवासी ग्राम बिरगंवा, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.)

— आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश द्वारा कलेक्टर, भिण्ड, जिला – भिण्ड (म.प्र.)

— अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार मेंहगांव द्वारा प्रकरण क्रमांक 251/12–13/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, मौजा कन्हारी, तहसील मेंहगाव के वर्तमान सर्वे क्रमांक 33 रकवा 0.41, 82 रकवा 0.80, 84 रकवा 0.51, 194 रकवा 0.25, 195 रकवा 0.89 आवेदकगण समान भाग के भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। इसी प्रकार मौजा नारायणपुरा, तहसील मेंहगांव में स्थित भूमि सर्वे कमांक 145 रकवा 1.23, 151 रकवा 1.39, 158 रकवा 0.05, 160 रकवा 0.80 एवं मौजा खेरिया की भूमि सर्वे कमांक 107 रकवा 1.25, 109 रकवा 1.61, 166 रकवा 2.83, 269 रकवा 0.63 मौजा देवरी की भूमि सर्वे कमांक 180 रकवा 0.35, 261 रकवा 0.35 हैक्टेयर के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी आवेदकगण हैं।
2. यहकि, मूलतः उक्त भूमियॉ आवेदकगण के निजी भूमिस्वामी स्वत्व व आधिपत्य की भूमियॉ होकर उनके पूर्वजों के समय से रही है तथा आवेदकगण के पूर्वज विजयगिर को भरण–पोषण के लिए धर्मादा माफी भूमि के रूप में जमीदार से प्राप्त हुयी थी। उक्त भूमियों का प्रयोजन किसी धार्मिक संस्था आदि से नहीं था और ना ही किसी के द्वारा धार्मिक संस्था

XXIX(a)-BR(H)-11

537

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1875-एक/13 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.5.19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	